

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 147/2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रीगल केभीकल्स एण्ड मिनरल्स, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी.पी.बिडियासर,
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.03.2014

निर्णय


अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स-प्रथम), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 84/आरवेट/जेयूसी/2010-11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत पारित निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये जरिये आदेश दिनांक 15.11.2010 के कायम की गयी आगत कर की मुजरा राशि ₹81,225/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित, "लोडर" को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में होना मानकर, चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार कर, रिवर्स कर 78,462/- की मांग राशि कायम की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय

लगातार.....2



अभिभाषक ने उपस्थित होकर, पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में न्यायिक स्थिति तथा तथ्यात्मक स्थिति को उचित विचारण कर, आदेश पारित किया है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी लाईम स्टोन को भट्टों में डालकर पकाने के पश्चात् पकाकर उसे हाईड्रेटेड लाईम उत्पादन हेतु संयन्त्र में लिफ्ट किया जाता है । मानव श्रम की पूर्ण उपलब्धता न होने के कारण उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। अतः लोडर को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पूंजीगत वस्तु के तहत क्रय किया जाकर, उक्त पर उचित रूप से आगत कर का मुजरा चाहा गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अवधारित किया गया है । कथन किया कि अधिनियम के प्रावधान 2(11), 2(17), 2(22), 2(35), 18 व नियम 18 के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी केपिटल गुड्स के आईटम्स तथा कन्ज्यूमेबल्स का क्रय राज्य के भीतर वैट चुकाकर विनिर्माण में प्रयुक्त करते हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिनियम की उक्त धारा 2(11) के तहत व्यवहारी है तथा अधिनियम की धारा 2(17) अनुसार ("tax paid or payable by a registered dealer in the course of business, on the purchase of any goods made from a registered dealer") प्रत्यर्थी व्यवहारीगण आई.टी.सी. के हकदार हैं।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी भी चूनाकली हाईड्रेटेड लाईम का निर्माण करता है, जो कि वैट अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण है। तर्क के समर्थन में अधिनियम की धारा 2(22) "Manufacture" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है -

"Manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

अग्रिम कथन किया कि वैट अधिनियम की धारा 2(7) "केपिटल गुड्स", धारा 2(22) "मैन्यूफैक्चर" तथा धारा 18 "इन्पुट टैक्स क्रेडिट" के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को केपिटल गुड्स की खरीद पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. स्वीकार किया जाना चाहिए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या "लोडर"

को पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में होना मानकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त पर चाहा गया आगत कर का मुजरा विधिसम्मत एवम् उचित है कि नहीं ? उक्त बिन्दु पर निर्णय से पूर्व यह निश्चित किया जाना आवश्यक है कि "लोडर" का कार्य क्या है एवम् उक्त वस्तु "मशीनरी" की श्रेणी में आती है कि नहीं ? इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स जनरल मार्केटिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बनाम् तमिलनाडु राज्य व अन्य 86 एस. टी.सी. 435 में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार अवधारित किया गया है कि:-


"Function of loader are to scope earth sand, gravel, etc and unload them. The same functions are carried out by excavator/shovels and the only difference here is that in the case of excavator/shovels, the machinery is kept in a stationery position, and in the other case, the machinery carries the excavated material. It does not make any difference that the excavator is provided only with a crawler mechanism and there is no movement with the goods,. As the functions of loader and excavator are almost similar and the term machinery occurring in the entry in the case of composite unit of which the mechanically propelled vehicle is an integral part the excavator will go within the preview said entry."

माननीय न्यायालय के ऊपर अंकित न्यायिक दृष्टांत के अध्ययन के पश्चात् यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे लोडर का विश्लेषण करें तो यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि व्यवहारी भी चूनाकली हाईड्रेटेड लाईम का निर्माण करता है, जो कि वेट अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण है। प्रत्यर्थी व्यवहारी लाईम स्टोन को भट्टों में डालकर पकाने के पश्चात् पकाकर उसे हाईड्रेटेड लाईम उत्पादन हेतु लोडर की सहायता से संयन्त्र में लिफ्ट किया जाता है जिससे मानव श्रम व समय की पूर्ण बचत होती है। अतः उक्त पूरी प्रक्रिया वि-निर्माण की प्रक्रिया में आती है जिसके तहत काम में आने वाली मशीनें "पूंजीगत वस्तुओं" की श्रेणी में आती है। फलस्वरूप, "लोडर" पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया आगत कर का मुजरा पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिसे प्रदान करने में अपीलीय

अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है । लिहाजा, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


31-3-2014
(मदन लाल)
सदस्य